राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1997, 1998, 1999 व 2000/2014.....जिला.....जयपुर।.....

उनवान–मैसर्स बंसल श्रीनारायण एन्टरप्राईजेज, मानपुरा, माचेड़ी, जयपुर बनाम् वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, सीाग–द्वितीय, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.12.2014	**एकलपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त अपीलें अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित पृथक्–पृथक् आदेश दिनांक 15.10.2014, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं तथा जिनमें वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, संभाग–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 35 के तहत् कमशः निर्धारण वर्ष **2006–07, 2007–08, 2008–09 व 2009–10 के लिये पारित पृथक्–पृथक् निर्धारण आदेश दिनांक 21.04.2014** के जरिये कायम की गयी मांग राशि के संबंध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष रोक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्रों को आंशिक रूप से स्वीकार करने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान कमशः रू.1,72,970/–, रू.1,70,275/–, रू.1,32,385/– व रू.44,935/– की वसूली पर रोक लगाई जाने की प्रार्थना की गई। अपीलार्थी के अभिभाषक श्री विवके सिंघल, एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह बहस हेतु दिनांक 28.11.2014 को उपस्थित हुये । उभयपक्षीय बहस सुनी जाकर रोक आवेदन पत्र पर निर्णय पारित किया जा रहा है । उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया व हस्तगत प्रकरणों के संबंध में **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत एस.बी. वैट रिवीजन पिटीशन कमांक 135/2013 मैसर्स बृजलाल पवन कुमार, हनुमानगढ बनाम् वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, हनुमानगढ़ निर्णय दिनांक 03.09.2014 का ससम्मान अध्ययन किया गया। उपर्युक्त प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत में माननीय न्यायालय द्वारा निम्न प्रकार निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम की गयी रिवर्स टैक्स की वसूली पर रोक आदेश पारित किया गया है** "....In the meanwhile, demand raised by the Commercial Taxes Officer, Anti-Evasion, Hanumangarh, vide notice dated 23 July 2007 shall remain stayed subject to the condition that the ***petitioner assessee shall furnish a solvent security equivalent to the demand raised therein to the satisfaction of assessing authority*** अतः उपर्युक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय न्यायिक दृष्टांत में पारित निर्णय के आलोक में, इस प्रकरण के तथ्य समान होने के कारण अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर, निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम की गयी रिवर्स टैक्स व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशि पर रू.1,72,970/–, रू.1,70,275/–, रू.1,32,385/– व रू. 44,935/– की वसूली कार्यवाही पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत एस.बी. वैट रिवीजन पिटीशन कमांक 135/2013 मैसर्स बृजलाल पवन कुमार, हनुमानगढ बनाम् वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, हनुमानगढ़ निर्णय दिनांक 03.09.2014 में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में, निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप लगातार.....2	

अपील संख्या 1997, 1998, 1999 व 2000/2014/जयपुर

04.12.2014

solvent security equivalent to the demand इस ओदश की प्राप्ति के 15 दिवस में प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित **अपील के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले हो, तक रोक लगायी जाती है । रोक आदेश की पालना के अभाव में उक्त स्वतः ही निष्प्रभावी हो जायेगा। इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।**

अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।

4.12.14

(मदन लाल)
सदस्य